

नाजायज तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

दिनांक 03.05.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बसियाराम साइपन के पास से अभियुक्त भरत तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी निवासी ताउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

वध हेतु जा रही 03 राशि गोवंश बरामद एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03.05.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नरहाघाट पुलिस के पास से वध हेतु ले जा रहे 03 राशि गोवंश बरामद कर अभियुक्त सरफराज पुत्र लालमुहम्मद निवासी गंगरूपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

आज दिनांक 04.05.2024 को करीब 13:30 बजे थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बडागांव में एक महिला को चाकू मारने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर घटना स्थल पर पहुंची जहाँ ज्ञात हुआ कि एक महिला अमिन्तुलजेहरा उम्र 40 वर्ष को उसके पति मुल्तजिर मेहंदी द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया जिसे अस्पताल ले जाते समय महिला की मृत्यु हो गयी शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया पुलिस अधीक्षक मऊ, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी घोसी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया आरोपी पति सहित दो अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है । कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।

लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आज दिनांक 04-05-2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाईन मऊ में यूपी 112 के पलिसकर्मियों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें यूपी 112 प्रशिक्षण केंद्र में पुलिसकर्मियों को बॉडी वार्म कैमरा को चलाने व उसकी उपयोगिता, चारपहिया एवं दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि के बारे में विस्तृत प्रकाश डालते हुये बोध कराया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया । के अतिरिक्त पीआरबी कर्मियों को लाइट तथा ीनजजमत के संबंध में भी बताया गया कि किसी इवेंट पर जाने पर कौन सी लाइट तथा हूटर का प्रयोग करना चाहिए वह घटनास्थल से मरीज को अस्पताल ले जाते समय कौन सी लाइट व हूटर का प्रयोग करना चाहिए इसके अतिरिक्त गर्मी का मौसम होने के कारण आग लगने पर मौके पर जाते समय तथा मौके पर पहुंचकर कौन-कौन सी सावधानियां बढ़ाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए वह गाड़ी में लगे फायर इंस्टिट्यूशन का प्रयोग कब हुआ कैसे करना चाहिए के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया